कार्यालय आदेश

उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के कार्यो का प्रभावी एवं सुगम संचालन सुनिश्चित करने हेतु, आयोग के सचिव के कर्तव्यों एवं दायित्वों को एतद्द्वारा निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:–

1– मुख्य सूचना आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन आयोग का सचिव आयोग के प्रशासनिक कार्यकरण के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी होगा ।

2– मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देशाधीन, सचिव द्वारा आयोग की बैठक बुलायी जायेगी, बैठक की कार्यसूची की टिप्पणी तैयार की जायेगी, बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जायेगा और ऐसी बैठक में आयोग द्वारा लिए गए विनिश्चय का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3– सचिव आयोग का बजट तैयार करेगा और मुख्य सूचना आयुक्त की सहमति से उसे सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा । सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय नियमों और बजट के प्राविधानों के अनुसार व्यय किया जाए ।

4– सचिव आयोग के कार्यालय के समुचित कार्यकरण और उसके अन्दर मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखना सुनिश्चित करेगा और वह उस निमित्त समस्त आवश्यक शक्तियाँ रखेगा और उनका प्रयोग करेगा ।

5– रजिस्ट्रार के कृत्यों से संबंधित समस्त मामलों के सिवाय, आयोग के समस्त पत्राचार आयोग के सचिव (अथवा संयुक्त/उप सचिव) के हस्ताक्षर से किये जायेंगे ।

6– सचिव समस्त ऐसे न्यायिक मामलों में जहां आयोग एक पक्ष है, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष आयोग का प्रतिनिधित्व करेगा ।

7– सचिव आयोग के प्रशासनिक कार्यकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों की समुचित अभिरक्षा और उनके रख–रखाव का पर्यवेक्षण करेगा और विहित प्रकिया के अनुसार ऐसे अभिलेखों का आवधिक विनष्टीकरण सुनिश्चित करेगा ।

8– सचिव आयोग से संबंधित मामलों के कार्यकरण के लिए सरकार और विभागीय प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखेगा ।

9– सचिव मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदन से स्वयं को सौंपे गये किसी कृत्य को स्वयं से अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

10– सचिव की अनुपस्थिति में, मुख्य सूचना आयुक्त आयोग के किसी अधिकारी को सचिव की शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत कर सकता है ।

उपरोक्त आदेश 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' की धारा 15(4) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया जाता है ।

(जावेद उस्मानी)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ ।

पत्र सं0 ६१५ /सचिव/2015, दि0 २१ मई, 2015

उपरोक्त आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग।
3– सचिव, राज्य सूचना आयोग ।
4– विधि अधिकारी, राज्य सूचना आयोग ।
5– उपसचिव, राज्य सूचना आयोग ।
6– गार्ड फाइल ।

(एस0 के0 ओझा)
सचिव